ऐक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड का नियमन करने वाले नियम और शर्तें

(महत्वपूर्ण) - सुनिश्चित करें कि ऐक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करने से पहले आपने स्मार्ट पे कार्ड के इन नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है. स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके आप बिनाशर्त इसके अंतर्गत सूचीबद्ध नियमों और शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं और उनके द्वारा बाध्य होंगे और आप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के प्रासंगिक विनियमों, आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल विनियमों, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए और समय-समय पर यथा संशोधित / परिवर्तित / लागूसभी नियमों और विनियमों और समय-समय पर प्रभावी किसी अन्य संगत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व स्वीकार करते हैं. आप ऐक्सिस बैंक के साथ अपने स्मार्ट पे कार्ड के संचालन के नियमों और शर्तों से भी बंधे रहेंगे.

परिभाषाएँ

1. "बैंक"**,** "ऐक्सिस बैंक" से आशय ऐक्सिस बैंक लिमिटेड और उसके उत्तराधिकारियों और समानुदेशितों से है.

2. "कार्ड" या "स्मार्ट पे कार्ड"**,** ऐक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी ऐक्सिस बैंक वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे घरेलू ओपन लूप स्मार्ट पे कार्ड को संदर्भित करता है.

3. "कार्डधारक"**,** "आप"**,** "आपका"**,** "उसे" या इसी तरह के सर्वनाम**,** जहां संदर्भ इस तरह स्वीकार करता है**,** ऐक्सिस बैंक के ग्राहक को संदर्भित करता है**,** जिसे ऐक्सिस बैंक द्वारा ऐक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड जारी किया गया है. एक लिंग में कार्डधारक के सभी संदर्भों में अन्य लिंग भी शामिल होंगे.

4. "एटीएम"**,** भारत में ऑटोमेटेड टेलर मशीन**,** चाहे ऐक्सिस बैंक का हो या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, को संदर्भित करता है**,** जिसमें अन्य बातों के साथ**,** कार्डधारक ऐक्सिस बैंक के पास रखे गए अपने स्मार्ट पे कार्ड में जमा अपने फंड का उपयोग करने के लिए अपने स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग कर सकता है.

5. "पिन" से आशय ऐक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित, समय-समय पर उसके द्वारा चुनी गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (एटीएम तक पहुंच के लिए आवश्यक) से है.

6. "लेनदेन" से आशय स्मार्ट पे कार्ड पर कार्रवाई संपन्न करने के लिए ऐक्सिस बैंक को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्ड का प्रयोग करके कार्डधारक द्वारा किसी भी निर्देश से है. (लेनदेन के उदाहरण खुदरा खरीद**,** नकद निकासी हो सकते हैं.)

7. 'व्यापारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान' से आशय कहीं भी स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों से है जो कार्ड स्वीकार करते / लेते हैं और इसमें अन्य के साथ-साथ ऐक्सिस बैंक या वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे इंटरनेशनल द्वारा विज्ञापित: स्टोर शॉप्स, रेस्तरां, एयरलाइन संगठन आदि शामिल हैं.

8. "ईडीसी" या "इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर" इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे ऐक्सिस बैंक का हो या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, जो व्यापारी प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए कार्ड खाता डेबिट करने की अनुमति देता है.

9. "वीज़ा" से आशयवीजा के स्वामित्व वाले और आमतौर पर वीज़ा से जुड़े ट्रेडमार्क से है.

10. "वीज़ा एटीएम नेटवर्क" से आशयऐसे एटीएम से है जो स्मार्ट पे कार्ड स्वीकार करते हैं और जो वीज़ा प्रतीक प्रदर्शित करते हैं.

11. 'रूपे' से आशय नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीएल) के स्वामित्वाधीन ट्रेडमार्क से है.

12. 'मास्टरकार्ड' से आशय मास्टरकार्ड के स्वामित्वाधीन ट्रेडमार्क से है.

स्मार्ट पे कार्ड ("कार्ड") ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, ("ऐक्सिस बैंक लिमिटेड"), जिसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तृतिय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के निकट, एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380006 में है,द्वारा निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

कार्ड की वैधता और कार्डधारक के दायित्व

1. कार्ड का निर्गमन और उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक और ऐक्सिस बैंक द्वारा जारी समय-समय पर लागू नियमों और विनियमों के अधीन होगा.

2. यह कार्ड केवल भारत में ऐक्सिस बैंक के एटीएम और व्यापारी प्रतिष्ठानों पर वीज़ा / मास्टर कार्ड / रुपे इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल पर लेनदेन विकल्पों के लिए मान्य होगा, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमत है.

3. यह कार्ड हर समय ऐक्सिस बैंक की संपत्ति है और होगा और ऐक्सिस बैंक के अनुरोध पर बिना शर्त और तत्काल ऐक्सिस बैंक को वापस लौटा दिया जाएगा.

कार्डधारक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकारी की पहचान स्थापित की जानी चाहिए.

4. स्मार्ट पे कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या समानुदेशन योग्य नहीं है.

5. आपको प्राप्त होने पर तुरंत कार्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए. आपको किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और हर समय अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में कार्ड रखकर दुरुपयोग से कार्ड की रक्षा करनी चाहिए.

6. कार्ड के साथ उपयोग करने के लिए कार्डधारक को जारी की गई व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) या पिन के रूप में कार्डधारक द्वारा चुनी गई कोई भी संख्या केवल कार्डधारक को ही ज्ञात होगी और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगी और अहस्तांतरणीय और कठोरता से गोपनीय होगी. पिन संख्या का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या ढंग से नहीं रखा जाना चाहिए जिससे तृतिय पक्ष द्वारा इसका उपयोग सुविधाजनक हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में या किसी भी माध्यम से, चाहे स्वैच्छिक हो या अन्यथा, किसी तृतिय पक्ष से या बैंक के कर्मचारियों से या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पिन का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए.

7. कार्डधारक का कार्ड खाता किसी भी निकासी, अंतरण और कार्ड के उपयोग द्वारा संपन्न अन्य लेनदेन की राशि से तुरंत डेबिट कर दिया जाएगा. कार्डधारक ऐसे किसी भी लेनदेन को पूरा करने के लिए अपने स्मार्ट पे कार्ड में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा.

8. कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग द्वारा स्मार्ट पे कार्ड पर उपलब्ध किसी भी शेष राशि से अधिक धन निकासी का हकदार नहीं होगा.

9. कार्डधारक कार्ड के उपयोग द्वारा संपन्न लेनदेनों के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे कार्डधारक द्वारा अधिकृत किया गया हो या नहीं, और इस समझौते के समाप्त हो जाने के बावजूद कार्ड या संबंधित पिन के किसी भी अनधिकृत उपयोग के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के विरूद्ध ऐक्सिस बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 या उस समय भारत में लागू होने वाले किसी अन्य कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी दाण्डिक कार्रवाई शामिल है.

10. आपसे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि स्मार्ट पे कार्ड दर्शाए गए माह / वर्ष के अंतिम दिन तक वैध है. एतद्द्वारा आप समाप्त हो जाने पर स्मार्ट पे कार्ड कई टुकड़ों में काटकर नष्ट करने का वचन देते हैं. आपका नवीकृत स्मार्ट पे कार्ड आपके कार्ड खाते के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर, ऐक्सिस बैंक के विवेक से कार्ड की समाप्ति से पहले आपको भेजा जाएगा. समाप्ति पर ऐक्सिस बैंक आपका कार्ड नवीकृत करने का एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है.

11. कार्ड में कोई भी मूल्य जिसका जारी करने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर उपयोग या आहरण नहीं किया गया है, डिपोजिटर एजूकेशन एंड अवेयरनेस फंड में अंतरित हो जाएगा. बैंक सेवाओं के उपयोग के लिए ग्राहक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा या ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया राशि की किसी भी जब्ती से पहले 45 दिनों की अग्रिम सूचना भेजेगा.

12. कार्डधारक को प्रीपेड भुगतान खाते में बकाया शेषराशि का मोचन करने की अनुमति होगी, यदि किसी भी कारण से योजना का समापन किया जा रहा है या आरबीआई द्वारा बंद करने का निर्देश दिया जाता है.

13. कार्डधारक द्वारा क्रिप्टो करेंसी की खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाएगा.

व्यापारी प्रतिष्ठान उपयोग

1. कार्ड भारत में वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे लोगो प्रदर्शित करने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों पर सभी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है.

2. कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल रखने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों पर स्वीकार किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक इस तरह के लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा. कृपया ध्यान दें कि व्यपारी प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-सेल स्वाइप टर्मिनल पर स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग के लिए पिन की आवश्यकता नहीं होती है.

3. जब भी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग किया जाता है तो आपको चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर करना चाहिए और चार्ज स्लिप की अपनी प्रति बनाए रखनी चाहिए. ऐक्सिस बैंक चार्ज स्लिप की प्रतियां प्रदान नहीं करेगा. व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं, लेकिन जिसे आपके द्वारा अधिकृत होना सिद्ध किया जा सकता है, ऐसी कोई भी चार्ज स्लिप आपका दायित्व माना जाएगा.

4. स्मार्ट पे कार्ड भारत में किसी भी वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान पर स्वीकार किया जाता है. ऐक्सिस बैंक ऐसे किसी भी लेनदेन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा जो व्यापारी आपके साथ कर सकता है, जिसमें इस तरह लाभ ली गई या प्रस्ताव की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है लेकिन जो इतने तक ही सीमित नहीं है. यदि आपकी किसी भी वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आपको मामला व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ सुलझाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता आपको बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं देगी.

5. ऐक्सिस बैंक लेनदेन के मूल्य / कीमत के अतिरिक्त किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए और लेनदेन की राशि के साथ आपके कार्ड खाते से डेबिट किए गए किन्हीं भी शुल्कों के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

6. खरीद और वस्तुओं / सेवाओं के निरस्तीकरण के लिए बाद में क्रेडिट दो अलग-अलग लेनदेन हैं. व्यापारी से प्राप्त होते ही धनवापसी केवल आपके कार्ड खाते (निरस्तीकरण शुल्क घटाकर) में जमा की जाएगी. यदि

धनवापसी के दिन से 30 दिनों के भीतर क्रेडिट आपके कार्ड खाते में पोस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको व्यापारी से क्रेडिट नोट की एक प्रति के साथ ऐक्सिस बैंक को सूचित करना चाहिए.

7. चेक-इन के दौरान होटल पर और साथ ही अन्य स्थानों पर कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जहाँ खरीद लेनदेन या सेवा के समापन से पहले भुगतान किया जाता है. कृपया ध्यान दें कि यदि इस तरह का लेनदेन संपन्न किया जाता है, तो आपका फंड अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया जाएगा.

8. किसी भी मेल ऑर्डर / फोन खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा.

9. विदेशी पत्रिकाओं / आवधिकों की सदस्यता के भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा.

10. कार्डधारक सभी अनधिकृत कृत्यों और लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा.

कार्ड शेष और समाप्ति

1. कार्ड जारी करने की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों की अवधि तक वैध है.

2. कार्ड स्मार्ट पे कार्ड पर समाप्ति तिथि में दर्शाए गए माह के अंतिम दिन तक वैध है.

3. कार्ड की समाप्ति की तिथि पर या के बाद किसी भी बकाया राशि की धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के ऐसे ही एक नए भुगतान विलेख में अंतरण की अनुमति होगी.

4. आपके कार्ड में अधिकतम बकाया शेषराशि किसी भी समय बिंदु पर रू. 50,000 से अधिक नहीं हो सकती है.

एटीएम उपयोग

1. कार्ड भारत में ऐक्सिस बैंक के सभी एटीएम और वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे एटीएम पर स्वीकार किया जाता है.

2. ऐक्सिस बैंक एटीएम पर सभी नकद निकासी के लिए, निकासी के समय एटीएम द्वारा जारी कोई भी विवरण / रसीद निर्णायक समझी जाएगी, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित और सूचित नहीं किया जाता है. ऐसा कोई भी सत्यापन इसी तरह अंतिम और निर्णायक होगा और यह सत्यापित राशि कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी.

3. ऐक्सिस बैंक कोई भी सेवा प्रदान करने या किसी भी दायित्व को निष्पादित करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी विफलता के लिए (चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) एटीएम या कार्ड कीकोई गड़बड़ी, धन की अस्थायी अपर्याप्तता, कोई विवाद या इसके नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियां जिम्मेदार हैं.

4. ऐक्सिस बैंक कार्ड और संबंधित पिन गुम होने / उपयोग करने से, चाहे जैसे भी हुआ हो, उत्पन्न होने वाले या संबंधित किसी भी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

5. एटीएम सेवाओं की उपलब्धता संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा व्यवस्था के अधीन है और यदि इन सेवाओं को इसकी सूचना के बगैर वापस ले लिया जाता है तो ऐक्सिस बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

***** आपके स्मार्ट पे कार्ड पर वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे एटीएम तक पहुंच बैंक और कंपनी के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है.

शुल्क

1. ऐक्सिस बैंक कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना बाद की तिथिमें शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. ऐसा और इस तरह लगाया गया शुल्क, यदि कोई है, ऐक्सिस बैंक की प्रचलित दर पर कार्डधारक की स्वीकृति / नवीनीकरण पर आपके कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा. ये शुल्क वापसी योग्य नहीं हैं. अन्य सेवाओं के लिए शुल्क इसी तरह प्रचलित दरों पर लगाए जाएँगे.

2. आप किसी भी अवैध खरीद यानी वर्तमान नियमों के अनुसार आरबीआई द्वारा अनुमत नहीं वस्तुओं / सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करनेका वचन देते हैं.

3. नकद निकासी / शेष राशि पूछताछ के लिए लेनदेन शुल्क और / या जहां भी लागू हो, नकद निकासी / शेष राशि पूछताछ या जहां भी लागू हो, पोस्ट करने के समय कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा.

4. स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग पर लागू प्रभार / शुल्क कार्डधारक (कार्डधारकों) को पूर्व सूचना दिए बिना समय-समय पर ऐक्सिस बैंक द्वारा संशोधित / परिवर्तित किए जा सकते हैं.

5. ऐक्सिस बैंक समय-समय पर कार्ड पर यथा लागू लोडिंग / वार्षिक / नवीकरण शुल्क और अन्य सेवा शुल्क डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

6. ऐक्सिस बैंक कार्ड समापन / निरस्तीकरण / सुविधा की वापसी के समय कार्ड पर यथा लागू बकाया राशि, पूर्णतः या अंशतः, डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

स्मार्ट पे कार्ड की विशेषताएँ

बैंक समय-समय पर अपने विवेक से आपके स्मार्ट पे कार्ड पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता कर सकता है. ये सभी सुविधाएँ केवल सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर होंगी, और बैंक किन्हीं भी सेवा प्रदाताओं / व्यापारियों / आउटलेटों / एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले किन्हीं भी उत्पादों या सेवाओं की प्रभावकारिता, दक्षता, उपयोगिता की गारंटी या वारंटी नहीं देता है. बैंक को शामिल किए बिना विवाद (यदि कोई है) सीधे व्यापारी / एजेंसी आदि से उठाना होगा.

सूचना का प्रकटीकरण

1. ऐक्सिस बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आप ऐसे किसी भी मामले से संबंधित कोई भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँगे जिन्हें ऐक्सिस बैंक आवश्यक मानता है. आप ऐक्सिस बैंक को आवश्यक माने गए चाहे जिस भी माध्यम से या चाहे जिस भी स्रोत से प्रदान की गई जानकारी की सत्यता सत्यापित करने के लिए भी अधिकृत करेंगे. यदि डेटा प्रदान नहीं किया गया है या गलत है, तो ऐक्सिस बैंक अपने विवेक से कार्ड नवीकृत करने से मना कर सकता है या कार्ड तत्काल रद्द कर सकता है.

2. ऐक्सिस बैंक सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य शाखा से ग्राहक जानकारी का खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

3. ऐक्सिस बैंक कार्डधारक के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी अन्य संस्थानों से, सख्ती से गोपनीयता के साथ, खुलासा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जैसा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में इसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक हो सकता है.

गुम या चोरी हो गया कार्ड

1. स्मार्ट पे कार्ड का गुम या चोरी होना तुरंत ऐक्सिस बैंक को सूचित किया जाना चाहिए. यद्यपि आपातकालीन संपर्क संख्या के माध्यम से गुम या चोरी होने की सूचना दी जा सकती है, लेकिन आपको जल्द से जल्द ऐक्सिस बैंक को लिखित में इसकी पुष्टि करनी चाहिए. स्वीकृत पुलिस शिकायत की प्रति उक्त लिखित पुष्टि के साथ अवश्य होनी चाहिए.

2. आप एतदद्वारा ऐक्सिस बैंक की किसी भी दायित्व (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, व्ययों या क्षतियों के विरूद्ध पूरी तरह क्षतिपूर्ति करते हैं जो ऐसी स्थिति में कार्ड खोने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं कि यह गुम हो गया है और ऐक्सिस बैंक को सूचित नहीं किया गया है या गुम हो गया है और ऐक्सिस बैंक को सूचित करने से पहले दुरूपयोग किया जाता है.

3. बशर्ते कि आपने सभी मामलों में नियमों और शर्तों का पालन किया है, लागू शुल्क पर ऐक्सिस बैंक के एकमात्र विवेक से प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जा सकता है.

4. यदि आपको बाद में कार्ड मिल जाता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है. चुंबकीय पट्टी के आर-पार इसे कई टुकड़ों में काटकर कार्ड नष्ट कर दें.

विवरण और रिकॉर्ड

1. कार्डधारक ऐक्सिस बैंक फोन बैंकिंग सेवा को फोन करके या ऐक्सिस बैंक के एटीएम पर लघु विवरण सुविधा का उपयोग करके किसी भी समय अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है. कार्डधारक आई-कनेक्ट™ - ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन अपना विवरण देख सकता है.

2. कार्ड के उपयोग से संसाधित लेनदेनों का ऐक्सिस बैंक का रिकॉर्ड निर्णायक और सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी होगा.

विवाद

1. खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर वाली चार्ज स्लिप उस पर दर्ज किए गए कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक द्वारा वहन की गई दायित्व की सीमा तक बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक साक्ष्य होगी. यह सुनिश्चित करना ऐक्सिस बैंक के लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्डधारक ने कार्डधारक की संतुष्टि तक खरीदी गई वस्तुएं प्राप्त की हैं / लाभ ली गई सेवा का लाभ उठाया है.

2. बैंक असहमति की सूचना की प्राप्ति से दो महीनों के भीतर खाता विवरण में बताए गए या जैसा कि ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्धारित किया जाता है, लागू शुल्क के साथ पीड़ित कार्डधारक की असहमति हल करने का निष्कपट और उचित प्रयास करेगा. यदि ऐसे प्रयास के बाद, बैंक निर्धारित करता है कि शुल्क सही है तो वह कार्डधारक को इसकी सूचना देगा.

3. बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड स्वीकार करने से मना करने की कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

4. यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार अर्थान्वित किया जाएगा और द्वारा नियंत्रित होगा. इस बात से निरपेक्ष कि इस मामले में किसी अन्य न्यायाल का समवर्ती क्षेत्राधिकार हो सकता है, सभी विवाद मुंबई, भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं.

5. कार्डधारक देय राशि के संग्रहण, कानूनी खर्चों (यदि मामला किसी एजेंट को संदर्भित करना जरूरी हो जाता है) से जुड़े, या जहां विवाद के समाधान में कानूनी संसाधनों का उपयोग किया गया है, सभी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा.

सामान्य

1. आप अपने रोजगार और / या कार्यालय और / या आवासीय पते और टेलीफोन नंबरों में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में ऐक्सिस बैंक को तुरंत लिखित में सूचित करेंगे.

2. ऐक्सिस बैंक कार्डधारक को नोटिस देकर किन्हीं भी नियमों और शर्तों, नीतियों, सुविधाओं और लाभों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इनमें से किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि के बाद स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग कार्डधारक द्वारा इस तरह के परिवर्तनों के आरक्षण के बिनास्वीकृति का साक्ष्य होगा

3. इसके अंतर्गत डाक द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस कार्डधारक द्वारा लिखित में ऐक्सिस बैंक को आखिर में दिए गए पते पर सूचना पोस्ट करने से **7** दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा. ऐसे तरीकों से परिवर्तनों का प्रकाशन जैसा कि ऐक्सिस बैंक उचित मान सकता है, कार्डधारक को इसकी प्रभावी सूचना का गठन करेगा.

4. यदि कार्डधारक, कार्ड का उपयोग करके, कार्ड पर उपलब्ध शेषराशि से अधिक राशि आहरित करता है, तो कार्डधारक ऐक्सिस बैंक द्वारा तय की जाने वाली दर पर ब्याज और अर्थदंड, यदि कोई हो, के साथ आहरित की गई समस्त अधिक राशिका बिना किसी शर्त के ऐक्सिसबैंक को भुगतान करेगा. हालांकि इसे समझौता नहीं माना जाना चाहिए, या तो व्यक्त या विवक्षित कि ऐक्सिस बैंक कोई भी ओवरड्राफ्ट सुविधा, चाहे जो भी हो, प्रदान करने के लिए बाध्य है.

5. ऐक्सिस बैंक कार्डधारकों को छूट जैसे लाभ प्रदान करने वाले तृतीय पक्षों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं करता है. यदि सेवा किसी भी तरह से हीन या अन्यथा असंतोषजनक है तो ऐक्सिस बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.

अनधिकृत लेनदेन शिकायतें और ग्राहक शिकायतें

किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक या ग्राहक का उत्तरदायित्व होगा :

1. ग्राहक का शून्य उत्तरदायित्व - शून्य उत्तरदायित्व का ग्राहक का अधिकार वहाँ उत्पन्न होगा जहाँ अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखित ढंग से होगा :

(ए) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी / लापरवाही / कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं इस बात से निरपेक्ष)
(बी) तृतिय पक्ष का उल्लंघन जहाँ कमी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है, और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है.

2. ग्राहक का सीमित उत्तरदायित्व - ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा :

(ए) ऐसे मामलों में जहाँ हानि ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होती है, जैसे कि जहाँ उसने भुगतान प्रत्यायक साझा किए हैं, ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना दिए जाने तक पूरी हानि उठाएगा. अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी.

(बी) ऐसे मामलों में जहाँ अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की ज़िम्मेदारी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है और इस तरह का लेनदेन बैंक को सूचित करने में ग्राहक की ओर से देरी (बैंक से सूचना प्राप्त होने के चार से सात कार्य दिवसों के बाद) होने पर, ग्राहक का प्रति लेनदेन उत्तरदायित्व लेनदेन मूल्य या रू. 10,000/-,जो भी कम हो, तक ही सीमित होगा.

3. यदि ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक का उत्तरदायित्व बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. बैंक बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार इसका मूल्याँकन और निर्धारण करेगा

सहायता के लिए www.axisbank.com/support पर पधारें

वृद्धि विवरण के लिए, ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axisbank.com) पर जाएँ और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें. आप हमारे ग्राहक सेवा दूरभाष संख्या 022-67987777 के साथ भी संपर्क में रह सकते हैं।

4. बैंक उन ग्राहकों को एटीएम नकद निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा प्रदान नहीं करेगा, जो बैंक को वैध मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करेंगे।

5. यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या वृत्तचित्र रूप में बैंक द्वारा बनाए रखे गए आपके निर्देशों के सभी अभिलेख और ऐसे अन्य विवरण (किए या प्राप्त किए गए भुगतानों सहित, लेकिन इतने तक की सीमित नहीं हैं), आपके विरूद्ध ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य समझे जाएंगे।

6. सूचना देने और/या खाते में किए गए लेनदेन/लेनदेनों का समय या उक्त खाते के संबंध में किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक विवादित लेनदेन का समय और/या प्रामाणिकता और तृतिय पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपका दायित्व पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा या जहाँ आपने धोखाधड़ी के लिए योगदान नहीं दिया है, "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों का सीमित दायित्व" पर बैंक की स्वीकृत बोर्ड नीति" के अनुसार संचालित किया जाएगा। समय-समय पर यथा संशोधित विनियमों में कोई भी बदलाव उस समय बिंदु पर लागू और बाध्यकारी होगा।

समाप्ति

1. ऐक्सिस बैंक किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना और कोई भी कारण बताए बिनास्मार्ट पे कार्ड याप्रदान की गई किन्हीं भी अन्य सेवाओं को रद्द करने या वापस लेने काअधिकार सुरक्षित रखता है.

2. यदि कार्डधारक अपनी स्मार्ट पे कार्ड सुविधा समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो जारी किया गया कार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा. कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और स्मार्ट पे कार्ड नष्ट कर और वापस लौटा देना चाहिए. किसी भी बकाया कार्ड लेनदेन के मामले में, जिसे अभी तक कार्ड खाते से डेबिट नहीं किया गया है, ऐक्सिस बैंक द्वारा उसे उसका धन वापस लौटाने से पहले इसे शेष राशि से निकाल दिया जाएगा.

3. यदि कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक ऐक्सिस बैंक को लिखित में 7 दिन से कम नहीं की पूर्व सूचना देगा और ऐक्सिस बैंक को तुरंत कार्ड वापस लौटा देगा और कोई अतिरिक्त कार्डधारक कार्ड (यदि आवश्यक नहीं है) चुंबकीय पट्टी के आरपार कई टुकड़ों मेंकाट देगा. इन नियमों और शर्तों की प्रयोज्यता समाप्त होने के बावजूद कार्डधारक द्वारा कार्ड नष्ट किए जाने के दावे के बाद कार्डधारक सभी कार्ड सुविधाओं और स्मार्ट पे कार्ड पर वहन किए गए सभी संबंधित शुल्कों के लिए ज़िम्मेदार होगा. कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड पर वहन किए गए सभी संबंधित शुल्कों के लिए ज़िम्मेदार होगा चाहे यह दुरुपयोग / धोखाधड़ी भरे उपयोग का परिणाम हो और चाहे बैंक को कार्ड के विनाश के बारे में सूचित किया गया हो या नहीं.

4. स्मार्ट पे कार्ड ऐक्सिस बैंक की संपत्ति है और अनुरोध किए जाने पर तुरंत और बेशर्त ऐक्सिस बैंक के अधिकारी को वापस लौटा दिया जाना चाहिए. अपना कार्ड सौंपने से पहले अपने द्वारा बैंक अधिकारी की पहचान स्थापित करना सुनिश्चित करें.

5. ऐक्सिस बैंक तत्काल प्रभाव से स्मार्ट पे कार्ड सुविधा समाप्त करने का हकदार होगा और निम्नलिखित में से कोई भी घटना होने पर कार्ड वापस लौटा दिया जाएगा:

i) इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में विफलता.

ii) ऐक्सिस बैंक के साथ किए गए समझौते या वचनबद्धता (आकस्मिक या अन्यथा) के अंतर्गतचूक की घटना.

iii) कार्डधारक का किसी भी ऋणशोधन अक्षमता, दिवालिया कार्यवाही या इसी तरह की प्रकृति की कार्यवाही का विषय बनना.

iv) कार्डधारक का देहान्त.

6. कार्ड पर लागू सुविधाओं, प्रभारों या नियमों और शर्तों में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन की कार्डधारक द्वारा अस्वीकृति के मामले में, कोई भी परिवर्तन प्रभावी होने की तिथि से पहले स्मार्ट पे कार्ड ऐक्सिस बैंक को वापस लौटा दिया जाना चाहिए.

7. यदि कार्डधारक ने पिछले 6 महीनों से कॉर्पोरेट से कार्ड में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है और कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि शून्य और / या कार्डधारक से वसूल किए जाने वाले वार्षिक शुल्क से कम है, तो बैंक किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना और कोई भी कारण बताए बिना कार्ड या प्रदान की गई किन्हीं भी अन्य सेवाओं को रद्द करने / वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

शासी कानून और क्षेत्राधिकार

ये नियम और शर्तें और / या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे और कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किन्हीं भी दावों या मामलों के संबंध में मुंबई के सभी न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा.